इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

सूचना

क्र. एफ 2-7-2015-1-उनसठ.—मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 42 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना हो, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी व्यक्ति से उपसचिव, आयुष विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय-दो में-

(1) नियम 6 के उपनियम (1) में शब्द ''पचास रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 8 के उपनियम (6) में शब्द ''डाक प्रेषणा प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा'' के स्थान पर, शब्द ''रजिस्टर्ड डाक द्वारा'' स्थापित किए जाएं;

(3) नियम 9 के उपनियम (1) में शब्द ''अपना मत-पत्र डाक प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजेगा'' के स्थान पर, ''अपना मत-पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा या उसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेगा'' स्थापित किए जाएं;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

NOTICE

No. F 2-7-2015-1-LIX.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani tatha Prakritik Chikitsa Vyavasayi Rules, 1973, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of Section 42 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani tatha Prakritik Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 42 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Deputy Secretary, Ayush Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in chapert II,—

(1) In sub-rule (1) of rule 6, for the words "Rupees fifty" the words "Rupees Five Thousand" shall be substituted;

(2) In sub-rule (6) of rule 8, for the words "by post under certificate of posting", the words "by registered post" shall be substituted;

(3) In sub-rule (1) of rule 9, for the words "shall send his voting paper by post under certificate posting" the words "shall send his voting paper by registered post or submit personally" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.